



आवासीय एवं अनआवासीय सम्पत्तियों के आवंटन/नीलामी का विवरण

सम्पत्तियों का प्रकार / संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर	अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)	टोकन / पंजीकरण धनराशि (लाख में)
डोमरौली योजना, मिर्जापुर					
व्यवसायिक भूखण्ड सं०-सी०पी०-114 / 1 (अनारक्षित)	01	79.29	17920.00	—	1.42
व्यवसायिक भूखण्ड सं०-सी०पी०-114 / 3 (अनारक्षित)	01	77.34	17920.00	—	1.39
हरपुर योजना बलिया					
व्यवसायिक भूखण्ड सं०-2ए / सी०पी०-2 (अनारक्षित)	01	97.95	29120.00	—	2.86
शाहपुर योजना संख्या - 2/3, गोरखपुर					
दुकाने LGFS-6,7,12 (अनारक्षित)	03	9.922 वर्गमी०	—	11.20 प्रति नग	1.12 नीलामी
दुकाने LGFS-2,3,4,5,8,9,10,11 (अनारक्षित)	08	9.633 वर्गमी०	—	10.86 प्रति नग	1.09 नीलामी
सत्यवानपुरी योजना, कटरा बस्ती					
म०आ०व० 100 (अनारक्षित)	01	138.40	—	16.89	0.85 नीलामी
हरैया योजना					
वैम्बे योजना तहसील हरैया आवासीय भवन 15 / 25	38	25.00	—	0.35 प्रति नग	0.05 लाट्री द्वारा
अवधपुरी योजना, फैजाबाद					
व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-1341 / 1 (अनारक्षित)	01	100.65	16800.00	16.91	1.70
व्यवसायिक भूखण्ड सं०-7	01	208.96	16800.00	35.11	3.52
कियोस्क के-1 से के-4 (अनारक्षित)	04	4.00 वर्गमी०	—	1.80 प्रति नग	0.18 प्रति नग
प्लेट फार्म पी-3 एवं पी-4 (अनारक्षित)	02	2.00 वर्गमी०	—	1.00 प्रति नग	0.10 प्रति नग
भरतपुरी योजना, गोण्डा					
प्राईमरी स्कूल भूखण्ड-फेज-2 (अनारक्षित)	01	1587.50 वर्गमी०	8470.00	0135 लाख	13.35 नीलामी
प्राईमरी स्कूल भूखण्ड-फेज-3 (अनारक्षित)	01	1826.82 वर्गमी०	8470.00	0155 लाख	13.50 नीलामी

नोट :- तहसील हरैया जनपद बस्ती के अंतर्गत निर्मित भवनों के लाभार्थियों की सूची में अंकित व्यक्तियों के (वी०पी०एल० कार्ड धारक) के मध्य आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि रु०-5000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् बस्ती के नाम देय हो, आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ बी०पी०एल० कार्ड / राशन कार्ड की छायाप्रति, नाम, पता, हस्ताक्षर सहित प्रमाणित फोटो निर्धारित आवंटन से एक दिन पहले सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् बी-60, सूरजकुन्द, गोरखपुर में जमा करना आवश्यक होगा।

सामान्य सूचना :- (1) समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु०-100.00 जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) अनावासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5% एवं अनावासीय सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10% धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के पंक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ नीलामी तिथि में भाग ले सकते हैं, अथवा नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सील्ड बिड के साथ जमा करना होगा। (3) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाईट : <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती हैं।

आवास आयुक्त